

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SPO मुकाम बडीसादडी
छात्र बनाम दीरालाल
 किस्म मुकद्दमा 53 पाउ नं. 97 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/6/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>बोहेडा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>मौजा बोहेडा की खाला संख्या 446 में विनाशित करवाया गया है।</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>बोहेडा की खाला संख्या 446 की विनाशित करवाया जा विनाशित करवाया गया है।</u></p> <p style="text-align: right;">P.T.O</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर फालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	



(Signature)
 (जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS
 पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपरवाहद अभियान